न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन /II/2016 उमरिया

लक्ष्मनदास गंगवानी पुत्र स्व. खुशालदास,
निवासी– गायत्री मंदिर के पास, वार्ड क्र. 5,
तहसील–बांधवगढ़, जिला–उमरिया
..... आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन .... अनावेदक

पुनर्विलोकन आवेदनपत्र धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश सदस्य मधू खरे राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 1698/III/13 लक्ष्मनदास गंगवानी बनाम म.प्र. शासन आदेश दिनांक 20–04–2016 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 04–07–2016 को प्राप्त हुई।

श्रीमान् जी,

पुनर्विलोकन का आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, पूर्व सदस्या महोदया मधू खरे जी का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बाहय होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, पूर्व सदस्या महोदया मधू खरे जी ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यह कि, कलेक्टर द्वारा दि. 20–03–2005 को 72 वर्गफीट भूमि की स्थाई लीज स्वीकृत दूसरी तरफ पड़ौसी के द्वारा झूठी शिकायत पर 248 की कार्यवाही करना एक साथ दो आधार नहीं हो सकते, इस कारण आदेश संशोधन किये जाने योग्य है।
4. यह कि, पड़ौसी की शिकायत से 248 का आधार नहीं बनता जबकि 72 वर्गफीट का लीज स्वीकृत है, इस कारण भी आदेश संशोधित किये जाने योग्य है।
5. यह कि, नकल प्राप्ति दिनांक से यह रिव्यु आवेदनपत्र समय सीमा में होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. यह कि, शेष अन्य तथ्य तर्क के समय निवेदित किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि माननीय पूर्व सदस्या महोदया मधू खरे जी का आदेश संशोधित कर सभी आदेश निरस्त करते हुये दिनांक 20–03–2005 कलेक्टर द्वारा स्वीकृत 72 वर्गफिट लीज स्वीकृत को यथावत् रखने की कृपा करें।

दिनांक : 27–6–2016

प्रार्थी,

(लक्ष्मनदास गंगवानी)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – रिव्यू 2457–दो/16 जिला – उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवरसिंह कुशवाह एवं अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री प्रखर ढुंगले उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता एवं अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर सुना गया । यह पुनरावलोकन राजस्व मंडल के तत्कालीन सदस्य द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 1698–तीन/13 में पारित आदेश दिनांक 20–04–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया । संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में उपरोक्त आधारों में से कोई आधार नहीं बतलाया जा सका है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनरावलोकन का आधार नहीं है । पुनरावलोकन आवेदन में जिन आधारों को बतलाया गया है, उन आधारों पर तत्कालीन सदस्य द्वारा विचार करके आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ । 3/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनरावलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	